

# झारखण्ड विधान सभा

## दैनिक विवरणिका

पंचम झारखण्ड विधान सभा  
संख्या-13

द्वितीय (चबूट) सत्र  
शुक्रवार, दिनांक-20 मार्च, 2020 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 05.04 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

### 1. विविध चर्चाएँ:-

- i- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही द्वारा कसमार में भूखल घासी की भूख से हुई मौत के मामले सम्बन्धी हो रही सरकारी जाँच पर असंतोष हाजिर करते हुए इसके लिये विधानसभा की समिति बनाये जाने का अनुरोध किया गया जिसपर सत्तापक्ष के माननीय सदस्य, श्री सुदिव्य कुमार द्वारा घोर आपत्ति जतायी गयी,
- ii- आसन की अनुमति से माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा शीघ्र ही उक्त विषय पर जाँच प्रतिवेदन दिये जाने हेतु सदन को आश्वस्त किया गया,
- iii- माननीय सदस्य, श्री कमलेश कुमार सिंह द्वारा आसन से अनुरोध किया गया कि जो प्रश्न सदन में नहीं लिये जा पाते हैं, उनके निष्पादन हेतु विधानसभा की एक समिति बनायी जाय,
- iv- माननीय सदस्य, श्री इरफान अंसारी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लिये जाने का मामला उठाया गया जिसे आसन द्वारा इस विषय को विधानसभा से इतर बताते हुए सदन में उठाये जाने से मना किया गया।

### 2. कार्यस्थल प्रस्ताव की सूचना:-

माननीय सदस्य, श्री मनीष जयसवाल द्वारा जहरीली शराब पीने से कई लोगों की हुई मौत, माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा रीची के कडरू में बारातियों पर हुए हमले तथा माननीय सदस्य, श्री बिरंभी नारायण द्वारा छठी जे.पी.एस.सी. की परीक्षा को रद्द किये जाने सम्बन्धी प्राप्त कार्यस्थल प्रस्ताव की सूचनाओं से आसन द्वारा सदन को अवगत कराते हुए इनके नियमानुकूल नहीं होने के कारण अमान्य कर दिया गया।

इस बीच प्रश्नकाल पुकारा ही जाने लगा तब तक माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा माननीय, श्री राहुल गौधी के सम्बन्ध में कुछ बातें कही गयीं जिसके कारण सदन में भारी शोरगुल होने लगा और भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सभी माननीय सदस्य सदन की वेल में आकर विरोध करने लगे, पक्ष-विपक्ष में नोकझोंक होने लगी। माननीय संसदीय कार्यमंत्री, श्री आलमगीर आलम द्वारा माननीय सदस्य, श्री सिंह के कथन को कार्यवाही से हटाये जाने का अनुरोध आसन से किया गया, लेकिन सदन में भारी अव्यवस्था का माहौल उत्पन्न हो गया जिसे देखते हुए सभा की कार्यवाही 11.19 बजे पूर्वा० से लेकर 12.00 बजे मध्या० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

कृ० प्र०

## (स्थगनोपरंत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही माननीय सदस्य, श्री सरयू राय द्वारा अनुरोध किया गया कि प्रश्नकाल के क्रम में उनके स्वर्गित प्रश्न संख्या-''क''70 अ०सू०-26 को पूछने हेतु पुकारा गया था जो नहीं लिया जा सका था, अतएव इसे पुटअप किया जाय। माननीय सदस्य के अनुरोध के आलोक में उक्त प्रश्न को आसन द्वारा स्वर्गित किया गया।

(इस अवसर पर सत्तापक्ष के सम्पूर्ण माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर स्थगन के पूर्व माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सदन में कही गयी बातों को लेकर उन्हें माफी माँगने हेतु आसन से माँग करने लगे।)

(शोरगुल)

## 3. शून्यकाल की सूचना:-

आज के लिए प्राप्त शून्यकाल की सभी सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए सम्बन्धित विभागों में भेजे जाने की घोषणा आसन से की गयी।

(भारी शोरगुल)

(इस क्रम में आसन के निर्देश से माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा कही हुई बातों की जीव महाधिवक्ता से करा ली जाय।)

## 4. वित्तीय कार्य:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, श्री सत्यानन्द भोक्ता द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मींगो खण्ड-(08) अम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग) एवं पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग) की मींगे सभा में प्रस्तुत की गयी जिसपर माननीय सदस्य, श्री सरयू राय द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

## 5. वित्तीय कार्य(क्रमांक-4 से जारी):-

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत मींग पर आसन के निर्देश से माननीय सदस्य, श्री सरयू राय ने चर्चा प्रारंभ की जिसमें निम्नोक्त माननीय सदस्यों ने भी भाग लिया-

- श्री वैद्यनाथ राम,
- श्री अमर कुमार ढाडरी,
- श्री राजेश कच्छप,
- श्री बंधु तिकी,
- श्री सुदिव्य कुमार,
- श्री जय प्रकाश भाई पटेल,
- श्री लम्बोदर महतो एवं
- श्री अमित कुमार यादव।

**(इस अवसर पर सरकार के उत्तर पर्यन्त सभा का समय विस्तारित किया गया।)**

श्री महेन्द्र प्रसाद शर्मा के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

इसके बाद सरकार की ओर से माननीय प्रधारी मंत्री, श्री सत्यनन्द भोक्ता द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगों खण्ड-(08) श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग) एवं पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग) पर उत्तर दिया गया। माननीय सदस्य, श्री सरयू राय द्वारा कर्तव्य का प्रस्ताव वापस नहीं लिये जाने की स्थिति में यह सदन से अस्वीकृत हुआ तथा उपर्युक्त माँगें ध्वनिमत से स्वीकृत हुईं। तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक-23 मार्च, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की गयी।

राँची,

(महोदय)

महेन्द्र प्रसाद,

सचिव,

झारखण्ड विधान सभा।

दिनांक- 20 मार्च, 2020 ई०।

(महोदय)

(महोदय)

श्री महेन्द्र प्रसाद शर्मा के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

इसके बाद सरकार की ओर से माननीय प्रधारी मंत्री, श्री सत्यनन्द भोक्ता द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगों खण्ड-(08) श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग) एवं पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग) पर उत्तर दिया गया। माननीय सदस्य, श्री सरयू राय द्वारा कर्तव्य का प्रस्ताव वापस नहीं लिये जाने की स्थिति में यह सदन से अस्वीकृत हुआ तथा उपर्युक्त माँगें ध्वनिमत से स्वीकृत हुईं। तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक-23 मार्च, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की गयी।

(महोदय)

श्री महेन्द्र प्रसाद शर्मा के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

(श्री महेन्द्र प्रसाद शर्मा के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव)

इसके बाद सरकार की ओर से माननीय प्रधारी मंत्री, श्री सत्यनन्द भोक्ता द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगों खण्ड-(08) श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग) एवं पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग) पर उत्तर दिया गया। माननीय सदस्य, श्री सरयू राय द्वारा कर्तव्य का प्रस्ताव वापस नहीं लिये जाने की स्थिति में यह सदन से अस्वीकृत हुआ तथा उपर्युक्त माँगें ध्वनिमत से स्वीकृत हुईं। तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक-23 मार्च, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की गयी।

श्री महेन्द्र प्रसाद शर्मा के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव